बिहार सरकार

<u>समाज कल्याण विभाग</u>

-:: <u>अधिसूचना</u> ::-

संचिका संख्या-स०क०निग०-178/2022-3964 ...श्री धीरेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ रिंकू सिंह, माननीय सदस्य, बिहार विधान सभा-सह-सदस्य, प्राक्कलन समिति के पत्रांक-251 दिनांक-19.12.2022 के माध्यम से प्राप्त पत्र एवं उसके साथ संलग्न श्री उपेन्द्र दीक्षित, मुखिया, ग्राम पंचायत राज, यमुनापुर टड़वालिया-सह-अध्यक्ष मुखिया संघ, प्रखण्ड-बगहा-02 के परिवाद में गंभीर भ्रष्टाचार/पोषाहार परिवहन के मामले में अनियमितता सेविकाओं से अवैध वसूली करने आदि का अरोप प्रतिवेदित करते हुए एवं राशि वसूली की वायरल विडियों का CD उपलब्ध कराते हुए श्री रंजीत कुमार, तत्कालीन बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, बगहा-2, पश्चिमी चम्पारण पर त्वरित अनुशासनिक कार्रवाई करने अनुरोध किया गया।

माननीय स०वि०स० से प्राप्त परिवाद के आलोक में जिला पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण, बेतिया के पत्रांक-171/गो० दिनांक-19.03.2023 से प्राप्त जॉच प्रतिवेदन में THR पंजी में अंकित गर्भवती/धात्री महिलाओं के बयान एवं पंजियों के अवलोकन के आधार पर लाभुकों को दिये जाने वाले खाद्य पदार्थ सही अनुपात में नहीं बॉटने, महिला पर्यवेक्षिका द्वारा आंगनबाड़ी केन्द्रों की सेविकाओं से राशि की वसूली करने का आरोप प्रमाणित पाये जाने, ग्राम पंचायत राज बरवल नरवल, प्रखण्ड–बगहा-2 के वार्ड सं०-16/17, केन्द्र सं०-323 की नवचयनित सेविका श्रीमती प्रियंका कुमारी के चयन के 6 माह बाद भी प्रशिक्षण/ योगदान को जानबुझकर गलत मंशा से लंबित रखने आदि का आरोप प्रमाणित होने का उल्लेख किया गया।

जिला पदाधिकारी से प्राप्त जॉच प्रतिवेदन की समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा की गई। समीक्षोपरांत लिये गये निर्णय के तहत विभाग द्वारा विहित प्रपत्र में आरोप पत्र गठित कर विभागीय पत्रांक-3023 दिनांक-15.06.2023 द्वारा श्री कुमार से लिखित अभिकथन की मॉग किये जाने पर उनके पत्रांक-314 दिनांक-03.07.2023 द्वारा लिखित अभिकथन उपलब्ध कराया गया। श्री कुमार से प्राप्त लिखित अभिकथन के समीक्षोपरांत अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा इनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित करने का निर्णय लेते हुए विभागीय संकल्प -4991 दिनांक- 04.10.2023 द्वारा श्री विरेन्द्र कुमार, तत्कालीन उप सचिव-सह-विशेष कार्य पदाधिकारी, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना को संचालन पदाधिकारी एवं श्री राय अमरनाथ सहाय, प्रशाखा पदाधिकारी-02, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना को उपस्थापन पदाधिकारी नामित किया गया।

श्री विरेन्द्र कुमार, तत्कालीन उप सचिव-सह-संचालन पदाधिकारी, समाज कल्याण विभाग के पत्र सं0- 2064 दिनांक-26.04.2024 द्वारा श्री कुमार के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही का जॉच प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराया गया। संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जांच प्रतिवेदन में आरोप संख्या-1 एवं 2 को अप्रमाणित एवं आरोप संख्या-3 को आंशिक रूप से प्रमाणित माने जाने का मंतव्य दिया गया है।

विभागीय पत्रांक- 3924 दिनांक-20.08.2024 द्वारा आंशिक रूप से प्रमाणित आरोप पर श्री कुमार से लिखित अभ्यावेदन/निवेदन की मॉग किये जाने पर उनके पत्रांक-285 दिनांक-09.09.2024 द्वारा अपना लिखित अभ्यावेदन/निवेदन विभाग को उपलब्ध कराया गया।

आरोप पत्र में गठित आरोपों, संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन एवं श्री कुमार द्वारा समर्पित लिखित अभ्यावेदन / निवेदन की समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा की गई। समीक्षा के क्रम मे पाया गया कि नवचयनित सेविका के चयन के छः माह के उपरांत प्रशिक्षण योगदान में विलंब हुआ, परन्तु इस मामले की जानकारी प्राप्त होने पर आरोपी पदाधिकारी द्वारा इसका निष्पादन त्वरित गति कराने का प्रयास किया गया। इस प्रकार श्री रंजीत कुमार द्वारा इस मामले में प्रशासनिक चूक की स्थिति परिलक्षित होती है। उक्त के दृष्टिगत विभागीय अधिसूचना संख्या-1719 दिनांक-07.04.2026 द्वारा इनके विरूद्ध निंदन एवं दो वेतनवृद्धि असंचयात्मक रूप से रोकने के शास्ति अधिरोपित किया गया।

उक्त अधिरोपित शास्ति को निरस्त किये जाने हेतु श्री कुमार के पत्रांक-196 दिनांक-13.05.2026 द्वारा पुनर्विचार याचिका विभाग को उपलब्ध कराया गया। जिसके समीक्षोपरांत अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री कुमार के पुनर्विचार आवेदन को अस्वीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया है।

अत: उक्त परिप्रेक्ष्य में विभागीय अधिसूचना संख्या-1719 दिनांक-07.04.2026 द्वारा अधिरोपित शास्ति के विरूद्ध श्री रंजीत कुमार, तत्कालीन बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, बगहा-2, पश्चिमी चम्पारण सम्प्रति बेनीपुर, दरभंगा से प्राप्त पुनर्विचार आवेदन को अस्वीकृत किया जाता है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/-
(भोगेन्द्र नाथ झा)
संयुक्त सचिव
समाज कल्याण विभाग।

ईमेल/
निबंधित

ज्ञापांक :- स0क0निग0-178/2022- 3964 पटना, दिनांक :- 21.7.2022

प्रतिलिपि :- महालेखाकार, बिहार, पटना/ वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना/प्रमण्डलीय आयुक्त, तिरहुत/दरभंगा/निदेशक, आई०सी०डी०एस० निदेशालय, बिहार, पटना/जिला पदाधिकारी, प० चम्पारण/दरभंगा/माननीय मंत्री, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/सचिव, समाज कल्याण विभाग के प्रधान आप्त सचिव/विशेष कार्य पदाधिकारी (स्था०), समाज कल्याण विभाग/संबंधित कोषागार/ विभागीय आई0टी0 मैनेजर (अपलोड हेतु) एवं श्री रंजीत कुमार, तत्कालीन बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, बगहा-2, पश्चिमी चम्पारण सम्प्रति बेनीपुर, दरभंगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20.7.22

संयुक्त सचिव

समाज कल्याण विभाग।